

दिनांक 22.11.2022 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-II व III) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 22.11.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-II व III) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, सहायक अभियन्ता जल निगम(मामीण), सहायक अभियन्ता(SWSM), प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) महाराजगंज, आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-

(1) भूमि:- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) को आवंटित समस्त 446 ग्रामों व मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) को आवंटित 651 ग्रामों की भूमि प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) द्वारा कुछ कार्यस्थलों पर विवाद व कब्जा प्राप्त ना होने की स्थिति के बारे में अवगत कराया गया, जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमि के विवाद के निस्तारण हेतु दिनांक 25.11.2022 को अपरान्ह 5:00 बजे कार्यस्थलवार टीम गठित करते हुये उक्त की सूचना सहित राजस्व की टीम के साथ कैम्प कार्यालय पर बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे, जिससे शतप्रतिशत भूमि के विवाद के निस्तारण की कार्यवाही की जा सके।

(2) डी0पी0आर0 :-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटित 446 ग्रामों के सापेक्ष 442 राजस्व ग्रामों के डी0पी0आर0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अवशेष 3 ग्रामों में स्थल विवाद के कारण व 1 ग्राम नामतः मुण्डेरी में 2011 की जनसंख्या व वर्तमान जनसंख्या में अत्यधिक होने के कारण डी0पी0आर0 का कार्य अवशेष है। जिसके सन्दर्भ में निर्देश दिये गये कि मुण्डेरी ग्राम की जनसंख्या के सन्दर्भ में सत्यापन जिला विकास अधिकारी से कराते हुये पत्रावली अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये। प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि 650 ग्रामों के सापेक्ष 511 राजस्व ग्रामों के डी0पी0आर0 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है अवशेष 139 ग्रामों के डी0पी0आर0 का कार्य प्रगति पर है।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता व फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि दिनांक 15.12.2022 तक समस्त डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त DWSM के समक्ष प्रस्तुत करें।

(3) FHTC:- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 हेतु 123006 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष आज दिनांक तक 32286 नग गृह संयोजन (FHTC) उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें से 5891 नग गृह संयोजन निर्माणाधीन/रेट्रोफिटिंग योजनाओं से उपलब्ध कराये गये हैं एवं अवशेष 26395 नग गृह संयोजन/(HTC) मेसर्स जे.एम.सी. प्रोजेक्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुये अधिशासी अभियन्ता व फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि गृह संयोजन (FHTC) उपलब्ध कराते हुये पोर्टल पर प्रतिदिन न्यूनतम 600 नग FHTC की इन्ट्री कराना सुनिश्चित करें। एवं फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थितिक कोया (जे.वी.) को निर्देश दिये गये कि माह-दिसम्बर के अन्त तक FHTC का कार्य करते हुये न्यूनतम 200 नग की दैनिक उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(4) कार्यों के बीजक:- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न स्टेप पर अत्यधिक पेपर वर्क के कारण भुगतान होने में औसत 15 से 25 दिन का समय लगता है जिससे धन की अनुपलब्धता की दशा में कार्यों की प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिसके सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता (जल निगम) द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा सभी योजनाओं (249नग) के बीजक एक साथ प्रस्तुत कर दिये जाते हैं जिससे विभिन्न स्टेज पर परीक्षण में समय लगता है व अवशेष डाक्यूमेन्ट उपलब्ध कराने में फर्म द्वारा भी विलम्ब किया जाता है। साथ ही अनुरोध किया गया कि बीजक एक साथ उपलब्ध ना कराते हुये पार्टवाइज बीजक उपलब्ध कराये जाये, जिससे ससमय भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देश दिये गये कि सभी वांछित अभिलेखों सहित बीजक पार्टवाइज उपलब्ध कराया जाये, जिससे भुगतान में अनावश्यक विलम्ब ना हो सके।

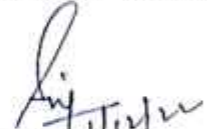
(5) रेट्रोफिटिंग व निर्माणाधी योजनाये :- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि 31 नग रेट्रोफिटिंग योजनाओं के सापेक्ष सभी योजनाओं के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं 2 योजनाओं नामतः वैठवलिया व धानी के नलकूप फेल होने के कारण नलकूप निर्माण हेतु पत्रावली मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम गोरखपुर को प्रेषित की गयी है। जिसकी अनुमति प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। 34 नग निर्माणाधीन योजनाओं के सापेक्ष 22 नग योजनाओं के सिविल कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं व 10 योजनाओं पर विद्युत संयोजन प्राप्त हो गया है जिसका टेस्टिंग/संचालन कार्य किया जा रहा है। अवशेष 12 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

(6) हर घर जल :- अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 121 नग राजस्व ग्रामों में शतप्रतिशत गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं एवं इसमें से 18 नग राजस्व ग्रामों का ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण करते हुये विडियो भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि पूर्ण की गयी पेयजल योजनाओं के समस्त राजस्व ग्रामों में शतप्रतिशत गृह संयोजन कराते हुये पेयजल से संतृप्त कराना सुनिश्चित करे, व संतृप्त हो चुकें 121 राजस्व ग्रामों का प्रमाणीकरण की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(7) कार्यों की प्रगति:- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 249 नग कवर एग्रीमेन्ट हो चुकी पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 162 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर हैं। उक्त योजनाओं में 108 नग नलकूप निर्माण, 52 नग नलकूप विकास कार्य, 699 किमी0 वितरण प्रणाली का कार्य पूर्ण, व 19 नग पम्प हाउस व 22 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 74 नग कवर एग्रीमेन्ट हो चुकी पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 5 नग पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उक्त योजनाओं में 2 नग नलकूप निर्माण, 5 किमी0 वितरण प्रणाली का कार्य प्रगति पर है। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये समस्त कार्यस्थलों पर कार्य प्रारम्भ करते हुये प्रगति में वांछित सुधार लाने के निर्देश दिये गये।

प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) को सोलर अधिष्ठापन के सम्बन्ध में सिड्यूल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिससे उन स्थानों पर मिट्टी भराई के कार्य हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जा सके।

बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों द्वारा रोड के रेस्टोरेशन ना होने व ट्रेन्च में मिट्टी का भराव नहीं किये जाने की शिकायत की गयी। ग्राम प्रधान बरगदवा राजा द्वारा बोरिंग से बालू आने की शिकायत की गयी जिसके सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता जल निगम को जाँच किये जाने के निर्देश दिये गये। ग्राम प्रधान भिस्वा द्वारा बताया गया कि घुघुली शिकरापुर रोड पर पाइप लाइन रोड के मुख्य मार्ग के किनारे रोड को छतिग्रस्त करते हुये डाली गयी है व ग्राम प्रधान को ड्राइंग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को रोड रेस्टोरेशन हेतु 7 दिवसों के अन्दर करने व सम्बन्धित ग्राम प्रधान को ड्राइंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। घुघुली शिकरापुर रोड के किनारे डाली गयी पाइप लाइन की जाँच के निर्देश सहायक अभियन्ता जल निगम को दिये गये।


(सत्येन्द्र कुमार)
आई०ए०एस०

जिलाधिकारी
महाराजगंज
0/2

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: ०१ / लेटर - महाराजगंज / ०७१ दिनांक: ०१ / १२ / २०२२

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
4. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), महाराजगंज।
5. मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
6. मेसर्स आर०वी०एशोएसिड्स (डी०पी०एम०यू०), महाराजगंज।


(जिलाधिकारी)
महाराजगंज।

ok